

समाहरणालय कैमूर (भभुआ)

कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ)

बिक्री अधिसूचना - उत्पाद प्रपत्र -127
(वित्तीय वर्ष 2015-16)

बन्दोबस्ती की तिथि-13.03.2015

आवेदन जमा करने की तिथि - दिनांक 21.02.2015 से 08.03.2015 तक, प्रत्येक कार्यदिवस को 5 बजे अपराहन तक।
आवेदन जमा करने का स्थान- कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, जिला परिषद भवन, समाहरणालय कैम्पस, कैमूर (भभुआ)।

मूल्य - 25 रु मात्र।

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रिल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोवस्ती दिनांक 13.3.15 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) लिच्छवी मकान में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोवस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लागकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानों भी रहेंगे।

दुकानों के पत्थेक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञापित विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अम्बर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अम्बर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

Handwritten signatures and dates: 16/02/15, 16/02/15, 16/02/15, 16/02/15

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्त अनुज्ञप्ति की भी शर्त मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि रागाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाइट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6. (क) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रिल, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/विजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र को सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, नक्त निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ता लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्त सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानदार निर्धारित आवेदन-शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

जतिम
16/02/15

16/02/15

16/02/15

Aditya
16/02/15

क्षेत्र का नाम	हाई पोर्टेशियल तथा लो पोर्टेशियल जौन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु० 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु० 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद के लिए	रु० 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु० 3000.00 (तीन हजार)
ग्रहंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु० 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु० 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फ्रीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा -

- अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- वह सरकारी बकायेदार हो।
- आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- अगर वह दिवालिया (इनसोल्वेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;
- उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,
- उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्राक्धानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्राक्धानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

नमि 5/2/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक-पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके विहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक अधिधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अवधि का सजायपता नहीं है ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञाप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पौष दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसको अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि का एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

Handwritten signatures and dates:
16/02/15
Aadity 3
16/02/15

14 (क) बंदोबस्ती के तुरत बाद बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बंधन प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोबस्तदार/अनुज्ञाधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञाशुल्क अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञाशुल्क रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अन्यर्था के साथ अथवा अन्यर्था संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अन्यर्था संख्या तीन के साथ बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोबस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञाशुल्क की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञाशुल्क के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञाशुल्क भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15 (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञाशुल्क फीस कुल वार्षिक अनुज्ञाशुल्क फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोबस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें संपूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोबस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञाशुल्क फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञाशुल्क दी गयी है, उस माह की अनुज्ञाशुल्क फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञाशुल्क तुरत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञाशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का व्योरा अनुज्ञाशुल्क में अंकित कर दिया जायेगा।

2016/02/15
2016/02/15
2016/02/15

Ashley
16/02/15

18 (क) कडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदारी अनुज्ञाधारी फी होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देंगे। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्त के दस दिनों के अंदर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल घयन के कारण दुकान खोलने में विलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्यद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19.(क) चिकी अधिनियम ने अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवा भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रिल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15

(ग) "ऑन" विक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक नासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञापित अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञापित परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा -

- (i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञापित अवधि,
- (ii). अनुज्ञाधारी का नाम
- (iii). दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम
- (iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञापित परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखावेंगे।

(ग). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञापित परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोबस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनें उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्वद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञापितधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञापित परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञापित परिसर में अनुज्ञापित भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।


24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

16/02/15
16/02/15
16/02/15

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञाघारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापक.....71...../उ० दि०

समाहरणालय का नाम:- कैमूर (मनुआ)
दिनांक 16.02.2015


समाहता
कैमूर (मनुआ)

जिला-कैमूर (ममुआ)

उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, इस जिला के बन्दोबस्त की जाने वाली शराब दुकानों का समूह, समूह के शराब दुकान का नाम, आवेदन शुल्क की राशि, जमानत राशि, मासिक अनुज्ञा-शुल्क एवं मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

समूह संख्या	क्रम संख्या	समूह के दुकानों का नाम	आवेदन शुल्क की राशि	जमानत राशि / मासिक अनुज्ञा शुल्क	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा		
					देशी / म0 दे0 श0 (एल0 पी0 ली0)	विदेशी शराब (एल0 पी0 ली0)	बीयर (बल्क लीटर)
1	1	NPD देशी / म0 दे0 श0 ममुआ सं0 01	4000.00	373500	4150.00	0	0.00
	2	NPD विदेशी शराब ममुआ सं0 01	4000.00	252750	0.00	1510	2625
	3	RPT अचौरा	2000.00	152680	1002.00	400	250
		योग	10000.00	778930	0.00	0.00	0.00
2	4	NPD देशी / म0 दे0 श0 ममुआ सं0 02	4000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	5	NPD विदेशी शराब ममुआ सं0 02	4000.00	252750	0.00	1510	2625
	6	RPT कुंजवलीज	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	10000.00	858250	0.00	0.00	0.00
3	7	NPD देशी / म0 दे0 श0 ममुआ सं0 03	4000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	8	NPD विदेशी शराब ममुआ सं0 03	4000.00	252750	0.00	1510	2625
	9	RPT भोकरी / बेतरी	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	10000.00	858250	0.00	0.00	0.00
4	10	NPD देशी / म0 दे0 श0 ममुआ सं0 04	4000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	11	NPD विदेशी शराब ममुआ सं0 04	4000.00	252750	0.00	1510	2625
	12	RPT पड़ोती / रामगढ़	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	10000.00	858250	0.00	0.00	0.00
5	13	BLK देशी / म0 दे0 श0 दुर्गावती	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	14	BLK विदेशी शराब दुर्गावती	3000.00	208500	0.00	1250	2100
	15	RPT पेरिया	2000.00	260500	1700.00	700	250
		योग	8000.00	842500	0.00	0.00	0.00
6	16	BLK देशी / म0 दे0 श0 पुसौली	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	17	BLK विदेशी शराब पुसौली	3000.00	204750	0.00	1225	2100
	18	RPT मुठानी	2000.00	315750	2200.00	725	900
		योग	8000.00	894000	0.00	0.00	0.00
7	19	BLK देशी / म0 दे0 श0 कुदरा 01	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	20	BLK देशी / म0 दे0 श0 कुदरा 02	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	21	BLK देशी / म0 दे0 श0 कुदरा 03	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
		योग	9000.00	1120500	0.00	0.00	0.00
8	22	NPT देशी / म0 दे0 श0 मोहनिया 01	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	23	NPT देशी / म0 दे0 श0 मोहनिया 02	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	24	NPT देशी / म0 दे0 श0 मोहनिया 03	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
		योग	9000.00	1120500	0.00	0.00	0.00
9	25	BLK देशी / म0 दे0 श0 चाँद	3000.00	378000	4200.00	0.00	0.00
	26	BLK विदेशी शराब चाँद	3000.00	205750	0.00	1225	2200
	27	RPT बिचरी, मोई, कुड़ी	2000.00	277500	2200.00	510	300
		योग	8000.00	861250	0.00	0.00	0.00
10	28	BLK देशी / म0 दे0 श0 हाटा	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	29	BLK विदेशी शराब हाटा	3000.00	205750	0.00	1225	2200
	30	RPT अमाव	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000.00	811250	0.00	0.00	0.00
11	31	BLK देशी / म0 दे0 श0 चैनपुर	3000.00	382500	4250.00	0.00	0.00
	32	BLK विदेशी शराब चैनपुर	3000.00	204750	0.00	1225	2100
	33	RPT विजयपुर / इमिया	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000.00	819250	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and date: 2/11/15

12	34	BLK देशी/म0दे0श0 नुआंव	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	35	BLK विदेशी शराब नुआंव	3000.00	204750	0.00	1225	2100
	36	RPT गजरांव/अखनी	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000-00	810250	0.00	0.00	0.00
13	37	BLK देशी/म0दे0श0 रामपुर (बैलांव)	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	38	BLK विदेशी शराब रामपुर (बैलांव)	3000.00	145000	0.00	900	1000
	39	RPT सवार	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000-00	750500	0.00	0.00	0.00
14	40	BLK देशी/म0दे0श0 भगवानपुर	3000.00	373500	4150.00	0.00	0.00
	41	BLK विदेशी शराब भगवानपुर	3000.00	117750	0.00	725	900
	42	RPT जैतपुरकला	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000-00	723250	0.00	0.00	0.00
15	43	BLK देशी/म0दे0श0 कर्मनाशा 01	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	44	BLK देशी/म0दे0श0 कर्मनाशा 02	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	45	BLK विदेशी शराब कर्मनाशा	3000.00	294500	0.00	1750	3200
		योग	9000-00	690500	0.00	0.00	0.00
16	46	BLK देशी/म0दे0श0 रामगढ 01	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	47	BLK देशी/म0दे0श0 रामगढ 02	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	48	RPT महुअर/डहरक	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000-00	628000	0.00	0.00	0.00
17	49	BLK देशी/म0दे0श0 देवहलिया	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	50	BLK विदेशी शराब देवहलिया	3000.00	117750	0.00	725	900
	51	RPT आदर्श नुआंव	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	8000-00	547750	0.00	0.00	0.00
18	52	BLK देशी/म0दे0श0 चंदेश	3000.00	198000	2200.00	0.00	0.00
	53	RPT बरीडा	2000.00	260500	2200.00	400	250
	54	RPT सिसौडा	2000.00	215500	1700.00	400	250
		योग	7000.00	674000	0.00	0.00	0.00
19	55	NPT विदेशी शराब मोहनिया 01	3000.00	291000	0.00	1720	3300
	56	NPT विदेशी शराब मोहनिया 02	3000.00	291000	0.00	1720	3300
	57	NPT विदेशी शराब मोहनिया 03	3000.00	291000	0.00	1720	3300
		योग	9000-00	873000	0.00	0.00	0.00
20	58	BLK विदेशी शराब कुदरा 01	3000.00	253500	0.00	1510	2700
	59	BLK विदेशी शराब कुदरा 02	3000.00	253500	0.00	1510	2700
	60	BLK विदेशी शराब कुदरा 03	3000.00	253500	0.00	1510	2700
		योग	9000-00	760500	0.00	0.00	0.00
21	61	BLK विदेशी शराब रामगढ 01	3000.00	146250	0.00	900	1125
	62	BLK विदेशी शराब रामगढ 02	3000.00	146250	0.00	900	1125
	63	RPT कलानी	2000.00	215500	1700.00	400	250
		योग	8000.00	508000	0.00	0.00	0.00
22	64	RPT पानापुर	2000.00	277000	2200.00	510	250
	65	RPT दादर	2000.00	309250	2200.00	725	250
	66	RPT कटराकला/बहुआरा	2000.00	215500	1700.00	400	250
		योग	6000.00	801750	0.00	0	0.00
23	67	RPT महमूदगंज	2000.00	315750	2200.00	725	900
	68	RPT करजी	2000.00	215500	1700.00	400	250
	69	RPT छांव	2000.00	215500	1700.00	400	250
		योग	6000.00	746750	0.00	0	0.00

2/12/2014 2/12/15

24	70	RPT सोनहन	2000.00	215500	1700.00	400	250
	71	RPT ओदार/कढार	2000.00	215500	1700.00	400	250
	72	RPT भिखनपुरा/गिउ	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	6000.00	863000	0.00	0.00	0.00
25	73	RPT डिडखिली	2000.00	315750	2200.00	725	900
	74	RPT मनिहारी	2000.00	277000	2200.00	510	250
		योग	4000.00	592750	0.00	0.00	0.00
26	75	RPT पचपोखरी	2000.00	278280	2200.00	518	258
	76	RPT सलथुआ	2000.00	232000	1700.00	510	250
		योग	4000.00	510280	0.00	0.00	0.00
27	77	RPT बसही	2000.00	215500	1700.00	400	250
	78	RPT नेवरास	2000.00	215500	1700.00	400	250
		योग	4000.00	431000	0.00	0.00	0.00
28	79	RPT शिवरामपुर	2000.00	170500	1200.00	400	250
	80	RPT चंदा/पाड़ी	2000.00	170500	1200.00	400	250
		योग	4000.00	341000	0.00	0.00	0.00
29	81	RPT कुडासन	2000.00	260500	2200.00	400	250
		सम्पूर्ण योग			150852.00	46373	60308.00

दुकान का प्रकार	स्वीकृत संख्या
1 देशी/म0 दे0 शराब -	24
2 विदेशी शराब -	22
3 कम्पोजिट शराब -	35
कुल योग -	81

समाहर्ता,
कैमूर।